



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2008/माघ 4, 1929

No. 102]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2008/MAGHA 4, 1929

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2008

का.आ. 138(अ).—बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार बाल मनोविज्ञान अथवा समाज शास्त्र के क्षेत्र में सुश्री निधात शफी, 16ए, गोग्जी बाग, श्रीनगर-190001 को राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में नामित करने के संबंध में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दिनांक 6 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1497(अ) को एतद्वारा निरस्त करती है।

[फा. सं. 3-5/2006 सी.डब्ल्यू]

लवलीन कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND
CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2008

S.O. 138(E).—In pursuance of Section 3(2)(b) of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006) the Central Government hereby rescinds the notification of Government of India in the Ministry of Women and Child Development No. S.O. 1497(E) dated 6th September, 2007 regarding nomination of Ms. Nighat Shafi, 16, A, Gogji Bagh, Srinagar-190001 as a Member of the National Commission for Protection of Child Rights in the field of child psychology or sociology.

[F. No. 3-5/2006 CW]

LOVELEEN KACKER, Jt. Secy.